Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).
[Supply Revision Case No.- 107 /2024]

Durga Prasad Yadav ....Appellant
Versus
The State of Bihar & Others..Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.10.2025	**आदेश** यह आपूर्ति पुनरीक्षण वाद समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0-1/2023 में दिनांक-18.6.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। LCR प्राप्त है। दिनांक-18.10.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। पुनरीक्षणकर्त्ता का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों/LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-240-2/गो0 दिनांक-20.2.2019 के आलोक में गठित जाँच दल के जाँच प्रतिवेदन तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मरौना के द्वारा पुनरीक्षणकर्त्ता PDS dealer श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा PDS दुकान संचालन में अनियमितता पाये जाने के कई बिन्दुओं के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आरोप प्रमाणित पाये जाने के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली के आदेश ज्ञापांक-1196-2 दिनांक-04.7.2019 द्वारा श्री दुर्गा प्रसाद यादव के PDS अनुज्ञप्ति सं0-48/2016 को रद्द किया गया। साथ ही समाहर्त्ता, सुपौल के समक्ष दायर आपूर्ति अपील वाद सं0-1/2023 में पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने तथा प्रमाणित घोर अनियमितता के आलोक में अपील वाद को खारिज कर दिया गया। उभय पक्ष के बहस तथा उपस्थापित कागजातों के अवलोकनोपरान्त यह स्थिति दृष्टिगत है कि पुनरीक्षणकर्त्ता PDS dealer के स्तर से विभागीय प्रावधानों Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016 तथा अनुज्ञप्ति की शर्तो का घोर उल्लंघन करते हुए PDS दुकान के अनियमित संचालन का समुचित साक्ष्य अभिलेख पर है। सुनवाई में पुनरीक्षणकर्त्ता की ओर से वाद पत्र में किये जा रहे अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई Admissible Evidence अथवा नया तथ्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। पुनरीक्षणकर्त्ता PDS dealer के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के सापेक्ष नियमानुसार कार्रवाई की गई है। निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः तदनुसार इस Revision वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। Raje K. 30/10/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Raje K. 30/10/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	